इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2016—श्रावण 6, शक 1938

खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

नेत्रालान, जल्लान नेवा, नानाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. एफ 19-5-2015-बारह-2.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9(बी) की उपधारा (1), (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा जिला खिनज प्रतिष्ठानों के गठन, कृत्यों तथा कार्य प्रणाली को विनियमित करने एवं जिला खिनज प्रतिष्ठानों में खिनजों के रियायत धारियों द्वारा भुगतान की जाने वाली रकम के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 है.
 - (2) ये नियम, राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
 - 2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67);
 - (ख) ''मण्डल'' से अभिप्रेत हैं, प्रतिष्ठान के न्यासियों का मण्डल;
 - (ग) ''प्रतिष्ठान'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन गठित तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन लोक न्यास के रूप में रिजस्ट्रीकृत किसी जिले का जिला खनिज प्रतिष्ठान;

- (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (इ) "प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना" (पीएमकेकेकेवाय) से अभिप्रेत है, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विविध विकासात्मक एवं कल्याण हेतु परियोजना/कार्यक्रम के कियान्ययन हेतु भारत सरकार की स्कीम;
- (च) "नियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्टान नियम, 2016;
- (छ) "राज्य खनिज निधि" से अभिप्रेत है, नियम 13 के उप नियम (2) के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित निधि।
- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957(1957 का 67), खनिज परमाणु तथा हाईड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न रियायत नियम, 2016, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 तथा मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 में समनुदेशित किए गए हैं।

3. प्रतिष्ठान.–

- (1) मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान का गठन किया जाएगा जिसे(जिले का नाम) जिला खनिज प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाएगा।
- (2) प्रतिष्ठान एक शाश्वत, निकाय होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी।
- (3) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के उपबंधों के अधीन यह प्रतिष्ठान एक अलाभप्रद न्यास होगा।

4. प्रतिष्ठान के उद्देश्य.-

न्यास, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाय) तथा समय—समय पर, राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनका कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्कीमें तथा योजनाएं तैयार करेगा।

5. मण्डल.—

- (1) प्रतिष्टान के न्यासियों का मण्डल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:--
 - (एक) जिले का प्रभारी मंत्री, जो इसका अध्यक्ष होगा;
 - (दो) कलक्टर, उपाध्यक्ष होगा;
 - (तीन) जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य सचिव;
 - (चार) खनिज, वन, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और ऐसे अन्य विभागों के, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिला स्तरीय वरिष्ठतम अधिकारी पदेन सदस्य होंगे;
 - (पांच) लोक सभा का सदस्य एवं मध्यप्रदेश विधान सभा का सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई मुख्य खिन रियायतें स्थित हैं;
 - (छह) अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा प्रभावित क्षेत्रों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।
 - (2) अध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारियों या विशेषज्ञों या प्रभावित व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों को भी, जिन्हें वह आवश्यक समझे बोर्ड की बैठक में बुला सकेगा,

- (3) मण्डल की बैठकों के लिए गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों से होगी;
- (4) मण्डल की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार होगी, तथा दो बैठकों के बीच का अंतराल 8 माह से अधिक नहीं होगा।
- (5) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

6. मण्डल की शक्तियां तथा कृत्य.-

प्रतिष्ठान के प्रबंधन एवं कार्यकरण पर, राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अथवा निर्देशों, के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए मण्डल का संपूर्ण नियंत्रण होगा तथा निम्नलिखित शक्तियां होंगी;

- (क) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप प्राथमिकताओं का निर्धारण;
- (ख) पांच वर्ष के लिए भावी योजना की अनुशंसा;
- (ग) वार्षिक वित्तीय विवरणी का अनुमोदन;
- (घ) प्रतिष्ठान के उपयुक्त कार्यकरण का अनुश्रवण।

7. कार्यपालिका समिति की संरचना, शक्तियां तथा कृत्य.-

- (1) प्रतिष्ठान की कार्यपालिका समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) कलक्टर

– अध्यक्ष

(ख) ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, — सदस्य जल संसाधन विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी (ग) जिले की अग्रणी बैंक के अधिकारी

- सदस्य
- (घ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला— पंचायत कोई अन्य सदस्य सचिव अधिकारी अथवा विशेषज्ञ जिसे अध्यक्ष विशेष आमंत्रिती के रूप में बुला सकेगा।
- (2) कार्यपालिका समिति, मंडल के संपूर्ण पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन प्रतिष्ठान की गतिविधियों के दि्न—प्रतिदिन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और विशिष्टतया उसे निम्नलिखित शक्तियां होगी.—
 - (कं) पांच वर्ष के लिए भावी योजना तैयार करना;
 - (ख) लेखों का संधारण;
 - (ग) प्रगति का पर्यवेक्षण तथा कार्यों का निष्पादन;
 - (घ) राज्य सरकार तथा मण्डल द्वारा अधिकथित किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिष्ठान की निधियों का विनिधान;
 - (ड) मण्डल द्वारा अनुशंसित पांच वर्षीय योजना के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु वार्षिक बजट एवं कार्य योजना तैयार करना;
 - (च) 10 करोड़ रूपए तक की अनुमानित लागत वाली अनुशंसित वैयक्तिक परियोजनाओं में से प्राथमिकता निर्धारित करते हुए सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष के माध्यम से मण्डल के अध्यक्ष से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे, दस करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा;
- (3) कार्यपालिका सिमिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार या एक से अधिक बार बैठक करेगी, यदि अपेक्षित हो।

8. प्रतिष्ठान की निधि.-

प्रतिष्ठान की निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

- (क) मुख्य खनिज पहों के पहेदारों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई दरों से किए गए भुगतान;
- (ख) अन्य जिला प्रतिष्ठानों से अंतरित की गई कोई निधि;
- (ग) समस्त प्राप्तियां तथा आय जिसमें उससे प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित है;
- (घ) किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन से प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त किया गया स्वेच्छा अंशदान, यदि कोई हो;
- (इ) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ऋण/अनुदान तथा बजट प्रावधान।

9. बैंक खाता.—

- (1) प्रतिष्ठान की समस्त निधियां, प्रतिष्ठान के बैंक खाते में, जो किसी अधिसूचित बैंक में होगा, जमा की जाएगी।
- (2) प्रतिष्ठान के बैंक खाते का संचालन कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिसका विनिश्चय कार्यपालिका समिति द्वारा किया जाएगा। इनमें से एक कार्यपालिका समिति का सदस्य सचिव होगा।
- (3) प्रतिष्ठान द्वारा समस्त भुगतान, रूपए 5000 से अनिधक के छोटे भुगतानों को छोड़कर प्राप्त करने वाले के बैंक खाते में केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान द्वारा या खाते मे देय (अकाउन्ट पेयी) चैक के माध्यम से किया जाएगा।

10. पट्टेदारों द्वारा दिया जाने वाला अंशदान.-

- (1) मुख्य खनिज के पट्टेदार द्वारा अंशदान उसी दिन तथा समय देय होगा, जिस दिन तथा समय ऐसी रायल्टी राज्य सरकार को देय है।
- , (2) मुख्य खनिज के पट्टेदारों को परिवहन पारपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके द्वारा प्रतिष्ठान को किया जाने वाला अंशदान प्रतिष्ठान को नहीं भेज दिया जाता।
 - (3) मुख्य खनिज के सभी पहेदार प्रतिष्ठान में उसी आवृत्ति में अपेक्षित भुगतान करेगा जिस अनुक्रम में राज्य सरकार को रायल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। यदि पहेदार प्रतिष्ठान को समय पर अपेक्षित भुगतान करने में असफल रहता है, तब वह प्रतिष्ठान को इस प्रकार देय मूल रकम के अतिरिक्त, विलंब अविध के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

11. अनुज्ञेय कृत्य.-

प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उपबंधों के अनुरूप सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन तथा राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अन्य विकासात्मक कृत्यों के लिए किया जा सकेगा।

12. प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों की पहचान.-

(1) प्रभावित क्षेत्र-

- (एक) ग्राम तथा ग्राम पंचायत जिसके भीतर खदानें स्थित हैं और संचालित हैं। ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोसी ग्राम, विकासखण्ड या जिले या राज्य तक विस्तारित हो सकते हैं।
- (दो) वह क्षेत्र जिसकी परिधि में खदान या खदान का समूह, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, इस बात के होते हुए भी कि वह क्षेत्र संबंधित जिले अथवा समीपवर्ती जिले के भीतर आता है।

- (तीन) वे ग्राम जिनमें खान के कारण परिवारों का परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनःस्थापनः / पुनर्वास किया गया हो।
- (चार) वे ग्राम जो कि आर्थिक आवश्यकताओं के लिए खनन क्षेत्रों पर उल्लेखनीय रूप से आश्रित हो तथा परियोजना क्षेत्रों पर, तत्काल के लिए भोगाधिकार और परंपरागत अधिकार, चारागाह एवं लघु वनोपज के संग्रहण आदि के लिए रखता हो।
- (2) अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र— वे क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं किन्तु जहां स्थानीय जनसंख्या, खनन संबंधी संक्रियाओं के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यद्यपि खनन के मुख्य नकारात्मक प्रभाव जल, मिट्टी एवं वायु की क्वालिटी ह्यास होना, जल प्रवाह का कम होना, भूजल स्तर का अवक्षय, कम होना तथा प्रदूषण होना, खनिज के परिवहन, से विद्यमान अवसंरचना एवं संसाधनों पर पड़ना हो सकते है।
- (3) प्रतिष्ठान, ऐसे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार तथा संधारित करेगा।
- (4) प्रमावित व्यक्तियों में सम्मिलित होंगे-
 - (क) "प्रभावित कुटुम्ब" जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, (2013 का 30) की धारा 3के खण्ड (ग) में परिभाषित किया गया है;
 - (ख) "विस्थापित कुटुम्ब" जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारों 3 के खण्ड (ट) में परिभाषित किया गया है;

- (ग) संबंधित ग्राम सभा द्वारा समुचित रूप से परिलक्षित कोई अन्य व्यक्ति या कुटुम्ब;
- (घ) वे व्यक्ति, जिसके पास खनन की जा रही भूमि के ऊपर वैधानिक एवं व्यावसायिक अधिकार हैं, और वे भी जिनके पास भोगाधिकार एवं परंपरागत अधिकार हैं;
- (ड़) प्रतिष्ठान, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों, स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार तथा संधारित करेगा।

13. निधियों का उपयोग.-

(1) प्रतिष्ठान के कार्यों का विस्तार :—
प्रतिष्ठान की निम्नलिखित गतिविधियां होंगी :—

(अ) उच्च प्राथमिकता क्षेत्र —

कम से कम 60 प्रतिशत निधि का उपयोग निम्नलिखित शीर्षों के अधीन किया जाएगा :--

- (क) पेयजल प्रदाय केन्द्रीय शुद्धिकरण प्रणाली, जल शोधन संयंत्र, स्थाई /अस्थाई जल वितरण संरचना जिसमें पेयजल के लिए आकिस्मिक सुविधाएं, जल प्रदाय की पाइप लाइन प्रणाली बिछाना सम्मिलित है।
- (ख) पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय :— प्रवाह उपचार संयंत्र, क्षेत्र में झरनों, झीलों, तालाबों, भू— जल, तथा अन्य जल स्त्रोतों के प्रदूषण का निवारण, खनन संक्रिया और उसके ढेर लगाने के कारण होने वाले वायु तथा धूल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उपाय, खान की प्रवाह प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण

टेक्नोलॉजी तथा पर्यावरण अनुकूल तथा खान के सतत विकास के लिए चालू या परित्यक्त खानों के लिए तथा अन्य वायु, जल तथा सतही प्रदूषण के नियंत्रण के लिए तंत्र।

- (ग) स्वास्थ्य की देखभाल— प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक / द्वितीयक / तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सृजित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। न केवल स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन बल्कि ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कर्मचारिवृंद, उपकरण और आपूर्ति उपलब्ध कराने के उपबंधों पर जोर देना चाहिए। अपितु उन्हे उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्य तथा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य देखभाल की विद्यमान अवसंरचना के पूरक तथा अभिसरण योग्य होना चाहिए। खनन से संबंधित बीमारियों तथा रोगों की देखभाल करने के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना का निर्माण करने में राष्ट्रीय खान श्रमिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है। खनन से प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु सामूहिक बीमा योजना लागू की जा सकती है।
- (घ) शिक्षा—दूरस्थ क्षेत्रों में शाला भवनों, अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्षों, शौचालयों, पेयजल व्यवस्था, छात्रों, शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास का निर्माण, खेल अवसंरचना, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा, शिक्षक / अन्य सहयोगी कर्मचारिवृंद का लगाया जाना, ई— शिक्षा व्यवस्था, परिवहन सुविधाएं (बस/ वैन/ साईकिल/ रिक्शा आदि) की अन्य व्यवस्थाएं तथा पोषण संबंधी कार्यक्रम।
- (ङ) महिला एवं बाल कल्याण—मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कुपोषण, किशोरवय, संक्रामक रोगों आदि की समस्याओं वाले विशिष्ट कार्यक्रम न्यास के अधीन किए जा सकते हैं।

- (च) वृद्ध एवं निःशक्त जन कल्याण-वृद्ध एवं निःशक्तजन कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।
- (छ) कौशल विकास— स्थानीय पात्र व्यक्तियों के जीवन यापन में सहयोग, आय सृजन तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए कौशल का विकास किया जाना। परियोजनाओं योजनाओं में प्रशिक्षण, व्यावसायिक / कौशल विकास केन्द्र का विकास, स्वरोजगार योजना, स्वसहायता समूह का सहयोग एवं स्वरोजगार आर्थिक गतिविधियों के लिए अग्र एवं पृष्ठ श्रंखला के प्रावधान सम्मिलित किए जा सकते हैं।
- (ज) स्वच्छता— अवशिष्ट को एकत्र किया जाना, परिवहन एवम् निपटारा, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, उचित जल-निकास तथा मैला शोधन संयंत्र तथा उपबंध, मैले कीचड़ के निपटारे के उपबंध, शौचालयों तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों के प्रावधान।
- (आ) अन्य प्राथमिक क्षेत्र— निम्नलिखित शीर्षों के अधीन 40 प्रतिशत निधि का प्रयोग किया जाएगा—
 - (क) भौतिक अवसंरचना— अपेक्षित भौतिक अवसंरचना और उसका अनुरक्षण उपलब्ध कराना— सड़क, सेतु, रेलवे एवं जलमार्ग की परियोजनाएं।
 - (ख) सिंचाई— सिंचाई के वैकल्पिक स्त्रोतों का विकास, उपयुक्त एवं उन्नत सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना।
 - (ग) जर्जा एवं वाटरशेड विकास— ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों तथा वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का विकास, बागों, समेकित खेती एवं आर्थिक वनोद्योग तथा जलसंग्रहण का प्रत्यावर्तन।

(घ) खनन जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के लिए कोई अन्य उपाय।

(2) सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत-

(क) प्रतिष्ठान के अंतर्गत चलाए जा रहे विकास एवं कल्याणकारी क्रियाकलापों को यथा सभंव, राज्य सरकार के साथ— साथ केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं / वित्तपोषित परियोजनाओं की पूरक प्रकृति का होगा।

"प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे" के सिद्धांत के अधीन किए जाने के लिए तत्पार्यत क्रियाकलापों को प्रतिष्ठान के अधीन नहीं लिया जाए। तथापि, प्रतिष्ठान की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य एवं जिला योजनाओं के साथ तालमेल बनाना चाहिए जिससे प्रतिष्ठान द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, विकास तथा कल्याणकारी गतिविधियों के अनुपूरक हों और वे राज्य योजना के लिए अतिरिक्त बजट स्त्रोत के रूप में समझे जाएं।

- (ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रतिष्ठान की वार्षिक प्राप्तियों की 3 प्रतिशत से अनिधक राशि प्रतिष्ठान के प्रशासनिक, पर्यवेक्षी तथा अन्य अतिरिक्त व्ययों के लिए उपयोग की जा सकती है। यथासंभव, प्रतिष्ठान के अधीन, अस्थाई / स्थाई पदों का सजृन नहीं किया जाए। प्रतिष्ठान द्वारा अस्थाई / स्थाई पदों के सजृन और वाहन के क्रय के लिए राज्य सरकार क्षा पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि, न्यूनतम अपेक्षित कर्मचास्विदं संविदा के आधार पर रखे जा सकेंगें।
- (ग) यदि किसी जिले में खान से प्रभावित क्षेत्र अन्य जिले की क्षेत्राधिकारिता में भी आता है तो प्रतिष्ठान द्वारा खान से संग्रहीत

राशि का ऐसा प्रतिशत, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए, अन्य संबंधित जिले के ऐसे क्षेत्र में क्रियाकलापों को किए जाने के लिए अंतरित किया जाएगा। ऐसी कोई परियोजना जो प्रभावित क्षेत्र/ सार्वजिनक लाभ के लिए है, किन्तु जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर तक फैली है, उसे प्रतिष्ठान के अधीन राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् लिया जाना चाहिए। सड़कों, पुलों आदि के निर्माण जैसी सामान्य अवसंरवना के विकास के लिए परियोजनाएं, जिनकी निधि के उपयोग की प्राथमिकता के संबंध में उपयोगिता विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, उसे प्रकरणवार जिले के महत्व की परियोजनाओं के लिए भी लिया जा सकेगा। निधि की उपयोगिता सीमा से अधिक ऐसे कार्यों को हाथ में लिए जाने के पूर्व, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और इसकी सूचना केन्द्र सरकार को दी जाएगी।

- (घ) वित्तीय मामलों में और उसके उपापन के लिए राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।
- (ङ) समस्त जिला खनिज प्रतिष्ठान, अपनी वार्षिक प्राप्तियों का निम्नानुसार प्रतिशत राज्य खनिज निधि में हस्तांतरण करेंगे जिससे किसी जिले के खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास से संबंधित कार्य या ऐसे कार्य जिनमें एक से अधिक जिले अन्तर्गस्त हो, किए जा सकें:--

कमांक वार्षिक प्राप्ति (करोड़ रूपये में) राज्य खनिज निधि में हस्तांतरण योग्य राशि का

प्रतिशत

1 0 से 5 करोड़ तक 0 प्रतिशत 2 5 करोड़ से 25 करोड़ तक 25 प्रतिशत 25 करोड़ से अधिक

3

• 50 प्रतिशत

उदाहरण:— यदि किसी जिला खनिज प्रतिष्ठान को किसी वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां राशि रूपये 125 करोड़ होती है। तब उसे राज्य खनिज निधि में निम्नानुसार राशि हस्तांतरित करना होगी:—

कमांक	हस्तांतरण योग्य राशि की	देय राशि
	सीमा	
1	० से 5 करोड़	निरंक
2 ·	5 से 25 करोड़	5 करोड़
3	25 करोड़ से 125 करोड़	50 करोड़
	कुल देय राशि	55 करोड़

- 14. राज्य खनिज निधि का प्रशासन –
- (क) निधि का उपयोग— निधि का उपयोग नियम 13 में यथा वर्णित कार्यों को करने के लिए किया जाएगा।
- (ख) समिति द्वारा निधि का प्रशासन -
 - (1) निधि का प्रशासन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-
 - (एक) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग —अध्यक्ष
 - (दो) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक —सदस्य और सांख्यिकी विभाग
 - (तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास —सदस्य विभाग

- (चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण —सदस्य विभाग
- (पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति –सदस्य कल्याण विभाग
- (छह) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति -सदस्य कल्याण विभाग
- (सात) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य –सदस्य यांत्रिकी विभाग
- (आठ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन —सदस्य विभाग
- (नौ) संचालक, बजट, वित्त विभाग —सदस्य सचिव समिति का अध्यक्ष, किए जाने वाले विकास कार्यों के प्रकार पर निर्भर रहते हुए ऐसे अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा।
- (2) वित्त विभाग निधि का प्रशासक होगा।
- (3) सिमिति, राज्य के संबंधित विभाग से अथवा विशिष्ट जिला खनिज प्रतिष्ठान या जिला खनिज प्रतिष्ठानों के समूह से आरंभ किए जाने वाले नियम 13 में यथावर्णित विकास प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा उसकी अनुशंसा करेगी। ऐसे अनुशंसित प्रस्तावों पर अनुमोदन समन्वय में मुख्य सचिव के माध्यम से, समन्वय में, मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- (4) समिति, प्रत्येक तीन माह की कालावधि में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी।*
- (5) निधि का उपयोग केवल उन्हीं प्रस्तावों / परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जो समिति द्वारा अनुमोदित हैं।

- (6) ऐसी परियोजनाओं / प्रस्तावों की तकनीकी, स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में राज्य सरकार के विद्यमान नियम लागू होंगे।
- (7) निधि से खर्च का तरीका— निधि में राशि के जमा होने के पश्चात् प्रशासक, जपनियम (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार, समिति के अनुमोदन अनुसार, व्ययों की पूर्ति के लिए सीधे खाते से निधि निकालने का आदेश जारी करेगा। तथापि निधि से राशि के आहरण के पूर्व वित्त विभाग से परामर्श लिया जाएगा।

15. अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध-

अनुसूचित क्षेत्रों में जिला निधि के उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, भारत के संविधान की अनुसूची पांच और अनुसूची छह के साथ पठित अनुच्छेद 244 में अंतर्विष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंधों तथा पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 40 सन् 1996) के उपबंध तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के उपबंधों द्वारा, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन प्रभावित ग्रामों के संबंध में लागू होगी।

(एक) ग्राम सभा का अनुमोदन-

- (क) प्रतिष्ठान के अधीन की जाने वाली समस्त योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए,
- (ख) शासन के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन हितग्रहियों की पहचान के लिए अपेक्षित होगा।
- (दो) संबंधित ग्राम में प्रतिष्ठान के अधीन हाथ में लिए गए कार्यों पर ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

16. कार्यों / ठेकों का निष्पादन-

- (1) प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित कार्यों को शासकीय विभागों, अभिकरणों, पंचायत राज संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से, जो ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है, निष्पादित किया जाएगा।
- (2) ऐसे कार्यों के संबंध में जो निजी जन भागीदारी प्रणाली के माध्यम से निष्पादित किए जाने है, कार्यपालक समिति, कार्य का आवंटन किसी अन्य सक्षम और स्वस्थ एजेंसी को, मण्डल का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए कर सकेगी।

17. लेखों का संघारण-

- (1) प्रतिष्ठान के लेखे ऐसी लेखा प्रक्रिया के अनुसार संधारित किए जाएंगे किया जाएगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (2) प्रतिष्ठान के लेखे मण्डल द्वारा नियुक्त चार्टड अकाउण्टेंट द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक वर्ष संपरीक्षित किए जाएंगे और उसका प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन के साथ जन सामान्य के समक्ष रखा जाएगा।

18. वार्षिक प्रतिवेदन-

(1) प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर, कार्यपलिका सिमिति, संबंधित वित्तीय वर्ष की गतिविधियों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवाएगी और मण्डल के समक्ष रखेगी।

- (2) वार्षिक प्रतिवेदन, मण्डल द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से एक माह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रतिष्ठान की वेबसाइट भी डाला जाएगा।
- (3) प्रत्येक प्रतिष्ठान का वार्षिक प्रतिवेदन, खनिज विभाग द्वारा राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

19. पारदर्शिता का अनुरक्षण-

प्रत्येक प्रतिष्ठान एक वेबसाइट तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिस पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारी अद्यतन रूप में संघारित की जाएगी,--

- (एक) प्रतिष्ठान का संरचनात्मक विवरण;
- (दो) खनन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों की सूची;
- (तीन) पट्टेदारों एवं अन्य से प्राप्त समस्त अंशदानों का तिमाही विवरण;
- (चार) प्रतिष्ठान द्वारा ली गई सभी बैठकों के एजेण्डा, कार्यवाही विवरण तथा कार्यवाही प्रतिवेदन (एटीआर);
- (पांच) वार्षिक योजनाएं तथा बजट, कार्य आदेश, वार्षिक प्रतिवेदन;
- (छह) किए जा रहे कार्यों की ऑनलाईन स्थिति— प्रतिष्ठान के अधीन चल रही समस्त परियोजनाओं / कार्यक्रमों की लागू स्थिति / प्रगति वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें कार्य का विवरण, हितग्राहियों का विवरण, प्राक्कित राशि, लागू करने वाली एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारंभ होने एवं समाप्त होने की अनुमानित तिथि तथा विगत लिमाही तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आदि सम्मिलत है;

- (सात) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन हितग्रहियों की सूची;
- (आठ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) के अधीन

स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

20. प्रतिष्ठान को भुगतान योग्य राशि की मानीटरिंग-

- (1) प्रत्येक पट्टेदार प्रतिष्ठान को भुगतान योग्य राशि उस अधिकारी को, जिसे रायल्टी संदेय है, सूचना के अधीन ऐसे बैंक खाते में जमा करेगा जैसा कि प्रतिष्ठान विनिर्दिष्ट करे।
- (2) प्रत्येक अधिकारी जो रायल्टी एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत है वह प्रत्येक पट्टेदार द्वारा भुगतान योग्य और भुगतान की जा चुकी रकम का रिजस्टर संधारित करेगा और उसका मासिक समेकित विवरण प्रत्येक माह के अंत में समिति के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करेगा।

21. इन नियमों के क्रियान्वयन को शिथिल करने की शक्ति.-

राज्य सरकार, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और लिखित में आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को, लागू करने में उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन शिथिल कर सकेगी जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

22. पुनर्विलोकन-

राज्य सरकार प्रतिष्ठान के "उद्देश्यों" के अनुकूल प्रत्येक पांच वर्षों में नियमों का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करेगी।

23. संशोधन-

इन नियमों में जब भी कोई संशोधन अपेक्षित हो, प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य मंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त कर, किया जा सकेगा। NO F-19-5-2015-XII-2.-In exercise of the powers conferred by subsections (1), (2) and (3) of section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957), the State Government hereby, makes the following rules to regulate the composition, functions and manner of working of the District Mineral Foundations and the amount of payment to be made to the District Mineral Foundations by the concession holders of minerals, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules, 2016.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) 'Act' means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957);
 - (b) 'Board' means the Board of Trustees of the Foundations;
 - (c) Foundation' means District Mineral Foundation of a District constituted under these rules and registered as a public trust under the Indian Trusts Act, 1982 (No. 2 of 1882);

- (d) 'Government' means the Government of Madhya Pradesh;
- (e) 'Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojna' (PMKKKY) means the scheme of Government of India to implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas;
- (f) 'Rules' means the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules, 2016;
- (g) 'State Mineral Fund' means a fund established by the State Government for the purpose as defined in clause (e) of subrule (2) of Rule 13.
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the Mineral (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 and the Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2006.

3. Foundations.-

- (1) There shall be constituted a District Mineral Foundation for each district of Madhya Pradesh to be known as the (Name of the District) District Mineral Foundation.
- (2) The Foundation shall be a perpetual body and will have a common seal.
- (3) The Foundation shall be a Non Profit Making Trust under the provisions of the Indian Trusts Act, 1882 (No.2 of 1882).

4. Objectives of the Foundations.-

The Trust shall prepare schemes and plans as per guidelines of the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojna (PMKKKY) and the instructions issued by the State Government from time to time to ensure their implementation for the development of mining affected areas.

5. Board.-

- (1) The Board of Trustees of the Foundation shall consist of the following members, namely:-
 - (i) The Minister Incharge of the District, who shall be the Chairperson;
 - (ii) Collector shall be the Vice-Chairperson;
 - (iii) Chief Executive Officer of Zilla Panchayat-Member Secretary;
 - (iv) Senior most district level officers of Mining, Forest, Rural Development, Public Works, Water Resources, Public Health Engineering, Tribal Development, Agriculture, School Education and Health and Family Welfare Departments and of such other Departments as the State Government may, specify-Ex-officio members;
 - (v) The Member of Parliament and Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly in whose constituency any major mineral concession is situated;
 - (vi) President, Zilla Panchayat and Chairpersons of Urban Local Bodies of affected areas who shall be the Ex-officio members;
- (2) The Chairperson may invite such other officials or experts or representatives of organisations working for affected persons to the meetings of the Board, as he may consider necessary.

- (3) The quorum for the Board meeting shall be one third of the members.
- (4) The Board shall meet at least twice in a financial year, and not more than 8 months shall elapse between two meetings.
- (5) Vice-chairperson shall chair the Board meeting in the absence of Chairperson.

6. Powers and functions of the Board.

The Board shall have the overall control over the management and functioning of the Foundation, subject to the guidelines or directions, if any, issued by the State Government and shall have the powers to-

- (a) determine the priority areas in consonance with the guidelines of PMKKKY;
- (b) recommend the perspective plan for five years;
- (c) approve the annual financial statements;
- (d) Monitor the proper functioning of the Foundation.

7. Composition, powers and functions of Executive Committee.

- (1) The Executive Committee of the Foundation shall have following members, namely:-
- (a) Collector

Chairperson;

(b) Senior most District level officers of Rural Development Department, Public Works Department, Agriculture Department, Water Resources Department, Forest Department, Mining Department and Public Health Engineering Departments

Member

(c) Lead Bank officer of district

- Member
- (d) Chief Executive Officer, Zila Panchayat
- Member-Secretary

Any other officer or expert whome the chairperson may invite as a special invitee.

- (2) The Executive Committee shall be responsible for day to-day management and supervision of the activities of the Foundation under the overall supervision and control of the Board and more specifically, shall have the powers to,-
 - (a) Preparation of perspective plan for five years;
 - (b) Maintain the accounts;
 - (c) supervise the progress and execution of works;
 - (d) invest the funds of the Foundation in accordance with the guidelines to be laid down by the State Government and the Board;
 - (e) Prepare the annual budget plan and working plan based on plan recommended for five years by the board, for approval of the Chairman;
 - (f) Member Secretary shall issue administrative sanction after getting administrative approval of Chairman of the Board through the Vice Chairman deciding priority amongst the recommended individual projects, having estimated cost up to Rs. 10 crore. Prior approval of the State Government shall be taken for projects having estimated cost of more than Rs. 10 crores.
- (3) The Executive Committee shall meet at least once in every quarter and more frequently, if required.

8. Funds of the Foundation.-

The funds of the Foundation shall comprised of-

- (a) payment made by the lessees of major mineral leases at the rates specified by the Central Government;
- (b) any fund transferred from other District Mineral Foundations;
- (c) all receipts and income including interest accrued therefrom.
- (d) voluntary contributions, if any, received by the Foundation from any person or organization;
- (e) loans/grants and budgetary devolution with the prior permission of the State Government.

Bank accounts.-

- (1) All the funds of the Foundation shall be credited to the Bank account of the Foundation having in any Scheduled Bank.
- (2) The Bank account of the Foundation shall be operated by at-least two persons to be decided by the Executive Committee, one of whom shall be the Member Secretary of the Executive Committee.
- (3) All payments by the Foundation, except small payments not exceeding Rs. 5,000 shall be made only through electronic payment to the Bank account of the recipient or through an Account Payee Cheque.

Contribution by the lessees.-

(1) The contribution of lessee of major mineral shall become payable on the same day and time on which such royalty is payable to the State Government.

- (2) No transit pass shall be issued to any lessee for major mineral unless the contribution to the Foundation has been remitted to the Foundation.
- (3) All lessees of major minerals shall make the required payment to the Foundation in the same frequency as is required to pay royalty to the State Government. If the lessees are failure to make the required payment to the Foundation on time, then in addition to the principal amount so payable to the Foundation, he shall also be liable to pay an additional simple interest at the rate of 2% per month, for the time of delay.

11. Permissible activities.-

The funds of the Foundation may be utilised for undertaking activities in consonance with the provisions of the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojna and for other developmental activities as decided by the State Government.

12. Identification of affected areas and People.

(1) Affected areas

- (i) Villages and Gram Panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighboring village, block or district or even state.
- (ii) An area within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government, irrespective of whether this falls within the district concerned or adjacent district.
 - (iii) Villages in which families displaced by mines have been resettled/rehabilitated by the project authorities.

- (iv) Villages that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc.
- (2) Indirectly affected areas -Those areas which are not directly affected but where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining-related operations, even though the major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flow sand depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources.
- (3) The Foundation shall prepare and maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas.
- (4) Affected people shall include,-
 - (a) affected family as defined under clause (c) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013);
 - (b) 'displaced family' as defined under clause (k) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013);
 - (c) any other person or family appropriately identified by the concerned Gram Sabha;
 - (d) people who have legal and occupational rights over the land being mined, and also those with usufruct and traditional rights;

(e) the Foundation shall prepare and maintain an updated list of such affected persons/local communities.

13. Utilization of Funds.-

- (1) Scope of the work of the Foundations:

 The Following shall be the activities of the Foundation:-
- (A) High priority areas at-least 60% fund shall be utilized under following heads:-
 - (a) Drinking water supply -Centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.
 - (b) Environment preservation and pollution control measures- Effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measures for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working or abandoned mines and other air, water and surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.
 - (c) Health care -The focus must be on creation of primary/
 secondary/tertiary health care facilities in the affected areas.
 The emphasis should not be only on the creation of the
 health care infrastructure, but also on provision of Providing
 necessary staff, equipment and supplies required for making
 such facilities effective. To that extent, the effort should be to
 supplement and work in convergence with the existing

health care infrastructure of the local bodies, state and Central Government. The expertise available with the National Institute of Miners' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases. Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.

- (d) Education Construction of school buildings, additional class rooms, Laboratories, Libraries, arts and crafts room, toilet blocks, drinking water provisions residential hostels for students/teachers in remote areas,, sports infrastructure, vocational training facility, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/van/cycles/ rickshaws/etc.) and nutrition related programmes.
- (e) Welfare of women and children- Special programmes for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, adolescence, infectious diseases, etc. can be taken up under the Trust.
- (f) Welfare of aged and disabled people Special programme for welfare of aged and disabled people.
- (g) Skill development-Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The projects /schemes may include training, development of vocational/skill development center, self employment schemes, support to Self Help Groups and , provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities.
- (h) Sanitation- Collection, transportation and disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage and

sewage treatment plant, provision for disposal of fecal sludge, provision of toilets and other related activities.

- (B) Other priority areas Up to 40% Fund shall be utilized under these following heads.
 - (a) **Physical infrastructure -** Providing required physical infrastructure and its maintenance roads, bridges, railways and waterways projects.
 - (b) **Irrigation** Developing alternate sources of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques.
 - (c) Energy and watershed development Development of alternate source of energy and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming and economic forestry and restoration of catchments.
 - (d) Any other measures for enhancing environmental quality in mining district.

(2) General guidelines

(a) The developmental and welfare activities to be taken up under the Foundation should be, as far as possible, in the nature of complementing the ongoing schemes/projects being funded by the State Government as well as Central Government.

Activities meant to be taken up under the 'polluter pays principle' should not be taken up under the Foundation. However, without prejudice to the powers of the Foundation, efforts shall be made to achieve convergence with the State and the district plans so that the activities taken up by the Foundation supplement the development

and welfare activities and are treated as extra-budgetary resources for the State plan.

- (b) An amount not exceeding 3% of the annual receipts of the Foundation subject to an upper limit fixed by the State Government may be utilized for administrative, supervisory and overhead costs of the Foundation. As far as possible, no temporary/permanent posts should be created under the Foundation. Any creation of temporary/permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government. However, minimum required staff can be engaged on contractual basis.
- If the affected area of a mine in one district also falls in the (c) jurisdiction of another district, such percentage of amount collected from the mine by the Foundation, as may be decided by the State Government, shall be transferred to the Foundation of the other district concerned for taking up the activities in such areas. A project that is for benefit of the affected area/ people, but stretches beyond the geographical boundary of the district should be taken up under the Foundation after obtaining prior approval of the State for development of Government. Projects infrastructure like construction of roads, bridges etc. in excess of the limits specified in regard to the priority for fund utilization, on a case to case basis, may also be taken up for projects of importance to the district. The prior approval of the State Government shall be taken, before taking up such works in excess of the limits of fund utilization, and its intimation shall be given to the Central Government.

- (d) Rules of the State Government shall apply in financial matters and for procurement.
- (e) All District Mineral Foundations shall transfer the percentage of their annual accruals to the State Mineral Fund in manner mentioned below to carry out works related to development, in mining affected areas of any district or the works which involve more than one district:-

Sr. No.	crores Rsj	Percentage of transferable amount to State Mineral Fund
1	up to 0 - 5 crore	0 percentage
2	from 5 crore to 25 crore	25 percentage
3	more than 25 crore	50 percentage

Example:- If the total receipts of any District Mineral Foundation is Rs. 125 crore in any financial year, then following amount shall be transferred by them to the State Mineral Fund:-

Sr. No.	Extent of transferable amount	Payable amount
1	To 0 to 5 crore	nil
2	From 5 crore to 25 crore	5 crore
3	From 25 crore to 125 crore	50 crore
<u> </u>	Total Payable amount	55 crore

14. Administration of State mineral Fund.

- (a) Application of the fund: The fund shall be utilized for carrying out the works as mentioned in Rule 13.
- (b) Administration of the fund by the Committee:

- (1) The Fund shall be administered by a Committee, which shall consist of the following members, namely:-
 - (i) Principal Secretary, Government of Chairman Madhya Pradesh, Finance Department
 - (ii) Principal Secretary, Government of Member Madhya Pradesh, Planning, Economics and Statistics Department
 - (iii) Principal Secretary, Government of Member Madhya Pradesh, Rural Development Department
 - (iv) Principal Secretary, Government of Member Madhya Pradesh, Public Works Department
 - (v) Principal Secretary, Government of Member Madhya Pradesh, Tribal Welfare Department
 - (vi) Principal Secretary, Government of Member Madhya Pradesh, Scheduled Caste Welfare Department
 - (vii) Principal Secretary, Government of Member Madhya Pradesh, Public Health Engineering Department
 - (viii) Principal Secretary, Government of Member Madhya Pradesh, Mineral Resources
 Department
 - (ix) Director Budget, Finance Department Member-Secretary

 The Chairman of the committee may co-opt such other

 members depending on the type of development works to

 be taken up.
- (2) The Finance department shall be Administrator of the fund.

- (3) The committee shall consider and recommend the development proposals as mentioned in rule 13 initiated from the concerned department of the State or from a particular District Mineral Foundation or a group of District Mineral Foundations. Approval, on such recommended proposals, shall be obtained from the Chief Minister in coordination through the Chief Secretary.
- (4) The committee shall meet at-least once in a period of every three months.
- (5) The fund shall be utilized only for the proposals/projects which are approved by the Committee.
- (6) The extant rules of the State Government shall be applicable regarding technical sanction and administrative approval of such project/proposals.
- (7) Mode of expenditure from the fund: After the amount is credited to the Fund, the administrator shall issue an order in accordance with the approval of the Committee, as mentioned in sub-rule (5), for incurring the expenditure by debiting the fund from account directly. The Finance Department shall, however, be consulted before drawing the amount from the fund.
- 15. Special provisions for scheduled areas.- The process to be adopted for utilization of district funds in the scheduled areas shall be guided by the provisions contained in Article 244 read with Schedule V and Schedule VI of the Constitution of India relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (No. 40 of 1996) and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest

Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) In respect of villages affected by mining situated within the scheduled areas:

- (i) Approval of the Gram Sabha shall be required for-
 - (a) all plans, programmes and projects to be taken up under the Foundation.
 - (b) identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government.
- (ii) Report on the works undertaken under the Foundations in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year.

16. Execution of works / Contracts.-

- (1) The works approved by the Foundation shall be executed through the Government departments, agencies, Panchayati Raj Institutions and public sector undertakings normally responsible for execution of such works.
- (2) In respect of such works, which are to be executed through Private Public Partnership scheme, the Executive Committee may award the work to any other competent and sound agencies following a transparent process, after obtaining prior approval of the Board.

17. Maintenance of accounts.

- (1) The accounts of the Foundation shall be maintained in accordance with such accounting procedure as the State Government, may, specify.
- (2) The accounts of the Foundation shall be audited every year by the Chartered Accountant appointed by the Board, or in such other manner as the State Government may specify, and the report

thereof shall be placed in the public domain alongwith the annual report.

18. Annual report.-

- (1) Every year, within three months from the date of closure of the financial year, the Executive Committee shall cause to prepare an annual report on its activities for the respective financial year and place it before the Board.
- (2) The annual report shall be submitted to the State Government within one month from the date of its approval by the Board and shall also be hosted on the website of the Foundation.
- (3) The annual report of each Foundation shall be laid before the State Legislative Assembly by the Mining Department.

19. Maintenance of transparency.

Each Foundation shall prepare and maintain a website on which, inter-alia, following information shall be hosted and kept updated-

- (i) details of composition of the Foundation;
- (ii) list of areas and people affected by mining;
- (iii) quarterly details of all contributions received from lessees and others;
- (iv) all meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the Foundation;
- (v) annual plans and budget, work orders, annual report;
- (vi) online status of ongoing works implementation status/progress of all the projects/programmes being undertaken under Foundation should be made available on the website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work, financial and physical progress upto last quarter etc;
- (vii) list of beneficiaries under various welfare programmes;

(viii) voluntary disclosures under Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005).

20. Monitoring of the amount payable to the Foundation.-

- (1) Every lessee shall remit the amount payable to the Foundation into the credit of such Bank account as the Foundation may specify, under intimation to the officer to whom the royalty is payable.
- (2) Every officer who is authorized to collect royalty shall maintain a register of the amount payable and paid by each lessee and furnish the monthly consolidated statement thereof to the Member Secretary of the Committee at the end of every month.

21. Power of Government to relax the operation of these rules.-

The State Government may, for the reasons to be recorded, and by an order in writing, relax the application of any of the provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as may be specified in the order.

22. Review.-

The State Government shall review and revise the rules in every five years, in consonance with the "objectives" of the Foundation.

23. Amendment.-

Whenever any amendments are required in these rules, these may be made after getting order in coordination of the Chief Minister, by the administrative departments.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरुण राठी, उपसचिव.